रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 9—अप्रैल 15, 2005 (चैत्र 19, 1927)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 9—APRIL 15, 2005 (CHAITRA 19, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

बैंक ऑफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय

बड़ौदा, दिनांक 02 फरवरी 2005

सं. एचओ: एचआरएम: 97: सी: 27/108एच/81--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 संशोधित करता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) ये विनियम बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 कहे जाएंगें।

   (2) सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से वे विनियमन लागू होंगे।

2. बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में विनियमन 17 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"17 अपील : (1) अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में विनिर्दिष्ट दण्डों में से कोई दण्ड अपने पर अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध या विनियम 12 में निर्दिष्ट निलम्बन के आदेश के विरुद्ध उस आदेश की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर अपील कर सकेगा।

परंतु, अपीलीय प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकता है, यदि यह आश्वस्त किया जाता है कि समय से अपील न कर सकने का पर्याप्त कारण अपीलकर्ता के पास मौजूद है।

(2) अपील अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी और अपीलकर्ता द्वारा उसकी एक प्रति उस प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई। इसके अंतर्गत सभी अभिकथन तथा बहस की सामग्री होगी जिस पर अपीलकर्ता भरोसा करता है परंतु कोई अनादर अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी, तथा यह अपने आप में पूर्ण होगी।

(3) जिस प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की गयी, अपीलकर्ता के अपील की प्रति प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर इससे अधिक नहीं उसी प्रति पर अपनी टिप्पणी दर्ज कर संबद्ध रिकार्ड के साथ अपीलीय प्राधिकारी को भेजेगा।

(4) जिस प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की गयी, उस प्राधिकारी से मामले से संबंधित टिप्पणी एवं रिकार्ड प्राप्त होने पर अपीलीय प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या निलंबन का आदेश/निष्कर्ष न्यायोचित है अथवा क्या दंड अत्यधिक अथवा अपर्याप्त है और समुचित आदेश पारित करेगा। अपीलीय प्राधिकारी दंड/निलंबन की पुष्टि करने वाला, उसमें वृद्धि करने वाला, उसे कम करने वाला या अपास्त करने वाला या मामले को जिसने दण्ड अधिरोपित किया था, उस प्राधिकारी को या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निदेश के साथ, जो वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे, प्रेषित करने वाला आदेश पारित कर सकेगा।

परंतु :

(i) अपील प्राधिकारी जो वर्धित दंड प्रस्तावित करता है, वह यदि विनियम 4 के खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) और (ट) में विनिर्दिष्ट कोई बड़ा दण्ड है और विनियम 6 में यथा उपबन्धित जांच उस मामले में पहले ही नहीं की जा चुकी है तो अपीलय प्राधिकारी यह निदेश देगा कि विनियम 6 के उपबन्धों के अनुसार ऐसी जांच की जाए और उसके पश्चात् जांच के अभिलेख पर वह विचार करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।

(ii) यदि अपील प्राधिकारी दण्ड में वृद्धि करने का विनिश्चिय करता है, किन्तु विनियम 6 में यथा उपबन्धित जांच पहले ही की जा चुकी है तो अपीलय प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को 'कारण बताओ नोटिस' देगा कि वर्धित दण्ड उस पर क्यों न अधिरोपित किया जाए और यदि अधिकारी कर्मचारी द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर विचार करने के पश्चात् अन्तिम आदेश पारित करेगा।

(5) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर अपील को निस्तारित करेगा।

परंतु, इस विनियम में निर्दिष्ट समय-सीमा मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता मामले से संबंधित है और जहां मामले की जांच कर रहे पुलिस अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जैसा भी मामला हो, की सिफारिश पर अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध बड़े/लघु दण्ड की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है।

(6) नब्बे दिन से अधिक समय से लंबित पड़े मामलों की अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आवधिक समीक्षा की जाएगी तथा मामलों के गैर निस्तारण से संबंधित कारण को लिखित में रिकार्ड किया जाएगा।

टी. के. कृष्णन
महाप्रबंधक (मासंप्र)

पाद टिप्पणी : बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन व अपील) विनियम 1976 के उपरोक्त विनियम में निम्न ब्यौरे के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :--

क्र. सं.	अधिसूचना नंबर	भारत के गजट में प्रकाशन की तारीख
1.	एचओ: ओएसआर व आईआर: 27/108/1043 दिनांक 12.07.1989	9.9.1989
2.	एचओ: ओएसआर व आईआर: ए-10/13/871 दिनांक 21.04.1988	8.8.1998
3.	एचओ: ओएसआर व आईआर: 27/108जी/2642 दिनांक 18.10.2000	30.12.2000
4.	एचओ: ओएसआर व आईआर: 27/108एफ/1307 दिनांक 23.07.2001	29.9.2001
5.	एचओ: ओएसआर व आईआर: 27/108/एच/611 दिनांक 31.05.2002	13.7.2002

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2005

सं. यू-16/53/2002 चि. 2(गुजरात)--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉ. एन. सी. गुर्जर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 5.11.04 से 4.11.05 तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निदेर्शी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, अहमदाबाद द्वारा निर्धारित क्षेत्र शाखा कार्यालय, खोखरा व आसपास के क्षेत्रों के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 9 मार्च 2005

सं. यू-16/53/99/पी.टी.एम.आर. (मुबंई) चि. शाखा-2--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत निगम की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निदेर्शी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूँ :

क्र. सं.	डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
1	डॉ. एस. आर. करनालकर	01.10.2004 से 30.09.2005	चालिस गांव (महाराष्ट्र)

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2005

सं. एन-15/13/1/4/2004-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 मार्च, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आंध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:--

"जिला मेदक के रामचन्द्रापुरम मंडल में स्थित बंड्लागुडा, तेल्लापुर, ओस्मान नगर तथा पटानचेरु मंडल में स्थित राजस्व ग्राम-नंदिगामा, ऐनोल, इन्द्रेशम, बच्चुगुडा, पटेलगुडा, पोचारम अमीनापुर (बंधम कोम्मू, नारेगुडेम, उस्कवाई गाँव के साथ) ऐलापुर, किस्टारेड्डिपेट, लक्डारम, क्यासारम और वडकपल्ली के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।"

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 25 फरवरी 2005

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

संख्या : 25-सी०ए०(91)/2000 : चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा श्री एन० के० शाह, (सदस्यता संख्या 31147), मैसर्स नैमिष के० शाह एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स, 206, कलष–1, नजदीक जैन टेम्पल नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009 को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (8) और (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक/व्यवसायिक अवचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात्, इन्स्टीट्यूट की परिषद् ने, उपरोक्त अवचार की बाबत उक्त श्री एन० के० शाह, को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाए। उक्त आदेश के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री एन० के० शाह, (सदस्यता संख्या 31147), का नाम दिनांक 9 अप्रैल, 2005 से एक माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाएगा।

टी. कार्तिकेयन
निदेशक

संख्या : 25-सी०ए०(82)/98 : चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा श्री मोहन रुंगटा, (सदस्यता संख्या 57053), मैसर्स एम० रुंगटा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स, 31, गिरि बाबू लेन, (फर्स्ट फ्लोर, कमरा नं० बी–1) कोलकाता–700012 को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक/व्यवसायिक अवचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात्, इन्स्टीट्यूट की परिषद् ने, उपरोक्त अवचार की बाबत उक्त श्री मोहन रुंगटा को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाए। उक्त आदेश के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री मोहन रुंगटा, (सदस्यता संख्या 57053), का नाम दिनांक 9 अप्रैल, 2005 से एक माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाएगा।

टी. कार्तिकेयन
निदेशक

संख्या : 25-सी०ए०(25)/95-96 : चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा श्री विनीत अग्रवाल, (सदस्यता संख्या 72343), चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट, सरोज सदन, 2 संपूर्णानन्द नगर, सिगरा, वाराणसी–221010 को अन्य बातों के साथ–साथ, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (7) और (11) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक अवचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात्, इन्स्टीट्यूट की परिषद् ने, उपरोक्त अवचार की बाबत उक्त श्री विनीत अग्रवाल, को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम तीन माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाए। उक्त आदेश के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री विनीत अग्रवाल, (सदस्यता संख्या 72343), का नाम दिनांक 9 अप्रैल, 2005 से तीन माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाएगा।

टी. कार्तिकेयन
निदेशक

संख्या : 25-सी०ए०(14)/93: चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा श्री पी० के० गर्ग, (सदस्यता संख्या 82689), मैसर्स पी० के० गर्ग एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेण्टस्, ए–66, विकास मार्ग, शकरपुर, गुरुनानक पुरा, दिल्ली को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (11) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक/व्यवसायिक अवचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात्, इन्स्टीट्यूट की परिषद् ने, उपरोक्त अवचार की बाबत उक्त श्री पी० के० गर्ग, को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम तीन माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाए। उक्त आदेश के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री पी० के० गर्ग, (सदस्यता संख्या 82689), का नाम दिनांक 9 अप्रैल, 2005 से तीन माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाएगा।

टी. कार्तिकेयन
निदेशक

संख्या : 25-सी०ए०(89)/2000 : चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा श्री लक्ष्मी नरसिंहम मित्तल, (सदस्यता संख्या 38894), मैसर्स लक्ष्मी मित्तल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स, मार्फत महालक्ष्मी सीमलैस लिमिटेड, पाइप नगर, सुकेली, वाया नागोथाणे, ताल : रोहा जिला रायगढ़–402126 को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (8), (9) और (12) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक/व्यवसायिक अवचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात्, इन्स्टीट्यूट की परिषद् ने, उपरोक्त अवचार की बाबत उक्त श्री लक्ष्मी नरसिंहम मित्तल, को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाए। उक्त आदेश के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री लक्ष्मी नरसिंहम मित्तल, (सदस्यता संख्या 38894), का नाम दिनांक 9 अप्रैल, 2005 से एक माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाएगा।

टी. कार्तिकेयन
निदेशक

संख्या : 25-सी०ए०(जी-10)/93-94: चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा श्री के० सी० लूनावत, (सदस्यता संख्या 50009), चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट, 33, शेक्सपीयर सरानी, कोलकाता–700017 को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (11) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक/व्यवसायिक अवचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात्, इन्स्टीट्यूट की परिषद् ने, उपरोक्त अवचार की बाबत उक्त श्री के० सी० लूनावत, को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम तीन माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाए। उक्त आदेश के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री के० सी० लूनावत, (सदस्यता संख्या 50009), का नाम दिनांक 9 अप्रैल, 2005 से तीन माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाएगा।

टी. कार्तिकेयन
निदेशक

संख्या : 25-सी०ए०(103)/93-94 : चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा श्री चिंतामणि एम० अभ्यंकर, (सदस्यता संख्या 32534), चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट, 615, न्यू बिल्डिंग, शास्त्री हाल, ग्रान्ट रोड (वेस्ट) मुम्बई–400007 को अन्य बातों के साथ–साथ, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 190 -ए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (11) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक/व्यावसायिक अवचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात्, इन्स्टीट्यूट की परिषद् ने, उपरोक्त अवचार की बाबत उक्त श्री चिंतामणि एम० अभ्यंकर को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम पांच वर्ष की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाए। उक्त आदेश के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री चिंतामणि एम० अभ्यंकर, (सदस्यता संख्या 32534), का नाम दिनांक 9 अप्रैल, 2005 से पांच वर्ष की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाएगा।

टी. कार्तिकेयन
निदेशक

संख्या : 25-सी०ए०(31)/96 : चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार, एतदद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा श्री जी० श्रीनिवास, (सदस्यता संख्या 203397), चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट, मार्फत, जी० श्रीनिवास एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेण्टस, 77, पैरिस कारनर बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, बेलपेट, बंगलौर–560053 को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (6), (8) और (12) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक/व्यवसायिक अवचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात्, इन्स्टीट्यूट की परिषद् ने, उपरोक्त अवचार की बाबत उक्त श्री जी० श्रीनिवास, को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम तीन माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाए। उक्त आदेश के अनुसरण में, एतदद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री जी० श्रीनिवास, (सदस्यता संख्या 203397), का नाम दिनांक 9 अप्रैल, 2005 से तीन माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाएगा।

टी. कार्तिकेयन
निदेशक

संख्या : 25-सी०ए०(76)/2000 : चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के उपबंधों के निबंधनानुसार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा श्री भूपिन्दर सिंह, (सदस्यता संख्या 76030), चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट, 10, जवाहर पुरी, कांकड़ खेड़ा, मेरठ कैन्ट–250001 को चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खण्ड (8), (9) और (11) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक/व्यवसायिक अवचार का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात्, इन्स्टीट्यूट की परिषद् ने, उपरोक्त अवचार की बाबत उक्त श्री भूपिन्दर सिंह, को उक्त अधिनियम की धारा 21(4) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह आदेश किया है कि उनका नाम एक माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाए। उक्त आदेश के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री भूपिन्दर सिंह, (सदस्यता संख्या 76030), का नाम दिनांक 9 अप्रैल, 2005 से एक माह की कालावधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा/काट दिया जाएगा।

टी. कार्तिकेयन
निदेशक

BANK OF BARODA
HEAD OFFICE

Baroda, the 02nd February 2005

No. HO:HRM:97:C:27/108H/81. In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Baroda in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend further the Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, namely :-

1. Short title and commencement : (1) These Regulations may be called Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, for regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely :-

"17 Appeal : (1) An officer employee may prefer an appeal to the Appellate authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in regulation 12:

Provided that the Appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(2) The appeal shall be presented to the Appellate authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate Authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal.

(4) The Appellate authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of suspension/findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate authority may pass an order confirming , enhancing, reducing or setting aside the penalty/suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that :

(i) If the enhanced penalty, which the Appellate authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper :

(ii) If the Appellate authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6, the Appellate authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

(5) The Appellate authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant :

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

(6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate authority and reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing.

T.K.Krishnan
General Manager (HRM)

Foot Note:- Earlier amendments to the above Regulation to Bank of Baroda Officer Employees (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below:

Sr.No.	**Notification No.**	**Published in Gazette of India dated**
1.	HO:OSR&IR:27/108/1043 dated 12.7.1989	9.9.1989
2.	HO:OSR&IR:A-10/13/871 dated 21.4.1998	8.8.1998
3.	HO:OSR&IR:27/108G/2642 dated 18.10.2000	30.12.2000
4.	HO:OSR&IR:27/108F/1307 dated 23.7.2001	29.9.2001
5.	HO:OSR&IR:27/108/H/611 dated 31.5.2002	13.7.2002

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 3rd March 2005

No.U-16/53/Med.II/(Guj) : - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Ahemdabad for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

NAME	Period	Name of Centre
1. Dr. N.C.Gurjar	5.11.2004 to 4.11.05	Khokhra

DR. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

The 9th March 2005

No.U-16/53/99/PTMR/Mumbai/Med.II : - In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in

accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Mumbai for the purpose of medical examination of the insured person and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

NAME	Period	Name of Centre
1. Dr. S.R. Karnalkar	1.10.2004 to 30.9.2005	Chalisgaon (Maha)

DR. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

New Delhi, the 16th March 2005

No. N-15/13/1/4/2004-P&D : in pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"Areas falling within the Revenue village of Bandlaguda, Tellapur, Osman Nagar in Ramachandrapuram Mandal and the Revenue village Nandigama, Inole, Indresham, Bachuguda, Patelguda, Pocharam, Ameenapur (with its Hamlets of Bandham Kommu, Naregudem, Uskavai), Ailapur, Kistareddypet, Lakdaram, Kysaram and Wadakpally in Patancheru Mandal of Medak District."

R. C. SHARMA
Jt. Director (P&D)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 25th February 2005

(Chartered Accountants)

No.25-CA(91)/2000: In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that **Shri N.K.Shah (Membership No.31147) Chartered Accountant, M/s Naimish K. Shah & Co., Chartered Accountants, 206, Kalash-I, Nr. Jain Temple Navrangpura, Ahmedabad-380 009** has been found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct under Clauses (8) and (9) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said **Shri N.K. Shah** has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one month. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said **Shri N.K. Shah (Membership No.31147) shall stand removed from the Register of Members for a period of one month with effect from 9th April, 2005.**

T. KARTHIKEYAN
Director

No.25-CA(82)/98: In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that **Shri Mohan Rungta (Membership No.57053) M/s M. Rungta & Co., Chartered Accountants, 31 , Giri Babu Lane, (1st Floor, Room No.B-1), Kolkata -700 012** has been found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct under Clause (8) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said **Shri Mohan Rungta** has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one month. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said **Shri Mohan Rungta (Membership No.57053) shall stand removed from the Register of Members for a period of one month with effect from 9th April, 2005.**

T. KARTHIKEYAN
Director

No.25-CA(25)/95-96: In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that **Shri Vineet Aggarwal, Chartered Accountant (Membership No.72343), Saroj Sadan, 2, Sampurnanand Nagar, Sigra, Varanasi-221 010** has been found, inter alia, guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct under Clauses (7) and (11) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said **Shri Vineet Aggarwal** has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of three months. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said **Shri Vineet Aggarwal (Membership No.72343) shall stand removed from the Register of Members for a period of three months with effect from 9th April, 2005.**

T. KARTHIKEYAN
Director

No.25-CA(14)/93: In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that **Shri P.K. Garg (Membership No.82689), Chartered Accountant, M/s P.K. Garg & Associates, Chartered Accountants, A-66, Vikas Marg, Shakarpur, Guru Nanak Pura, Delhi** has been found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct under Clause (11) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said **Shri P.K. Garg** has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of three months. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said **Shri P.K. Garg (Membership No.82689) shall stand removed from the Register of Members for a period of three months with effect from 9th April, 2005**.

T. KARTHIKEYAN
Director

No.25-CA(89)/2000: In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that **Shri Laxmi Narsiham Mittal, (Membership No.38894), M/s Laxmi Mittal & Co., Chartered Accountants, C/o Mahalaxmi Seamless Ltd. Pipenagar, Sukeli, Via: Nagothane, Tal:Roha. Dist: Raigad-402126** has been found, inter alia, guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct under Clauses (8), (9) and (12) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said **Shri Laxmi Narsiham Mittal** has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one month. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said **Shri Laxmi Narsiham Mittal (Membership No.38894) shall stand removed from the Register of Members for a period of one month with effect from 9th April, 2005**.

T. KARTHIKEYAN
Director

No.25-CA(G-10)/93-94: In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that **Shri K.C. Lunawat, FCA., (Membership No.50009) Chartered Accountant, 33, Shakespeare Sarani, Kolkata-700 017** been found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct under Clause (11) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri **K.C. Lunawat** has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of three months. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said **Shri K.C. Lunawat (Membership No.50009) shall stand removed from the Register of Members for a period of three months with effect from 9th April, 2005.**

T. KARTHIKEYAN
Director

No.25-CA(103)/93-94: In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that **Shri Chintamany M. Abhyankar (Membership No.32534), Chartered Accountant, 615, New Building, Shastri Hall, Grant Road (West), Mumbai-400 007** has been found, inter alia, guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct under Clause (11) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 190-A of the Chartered Accountants Regulations, 1988 and Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said **Shri Chintamany M. Abhyankar** has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of five years. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said **Shri Chintamany M. Abhyankar (Membership No.32534) shall stand removed from the Register of Members for a period of five years with effect from 9th April, 2005.**

T. KARTHIKEYAN
Director

No.25-CA(31)/96: In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that **Shri G. Sreenivasa (Membership No.203397) Chartered Accountant, C/o G. Sreenivasa & Associates, Chartered Accountants, No.77, Paris Corner Building, 3rd Floor, Balepet, Bangalore-560 053** has been found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct under Clauses (6), (8) and (12) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri **G. Sreenivasa** has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of three months. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said **Shri G. Sreenivasa, (Membership No.203397) shall stand removed from the Register of Members for a period of three months with effect from 9th April, 2005.**

T. KARTHIKEYAN
Director

No.25-CA(76)/2000: In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of the provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that **Shri Bhupinder Singh, (Membership No.76030) Chartered Accountant, 10, Jawahar Puri, Kanker Khera, Meerut Cantt-250 001** has been found guilty, by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, of professional misconduct under Clauses (8), (9) and (11) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Thereafter, in respect of the aforesaid misconduct, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing under Section 21(4) of the said Act to the said Shri Bhupinder Singh has ordered that his name be removed from the Register of Members for a period of one month. In pursuance thereof, it is hereby notified that the name of said **Shri Bhupinder Singh (Membership No.76030) shall stand removed from the Register of Members for a period of one month with effect from 9th April, 2005**.

T. KARTHIKEYAN
Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005